दिनांक 30.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ साइबर कैफे/जन सेवा केन्द्र में लूट की घटना में शामिल 15,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट व 1560/- रुपये नकद बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 30.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक नकुड़ मय फोर्स विश्वकर्मा चौक पर चैकिंग कर रहे थे तभी अंबहेटा की तरफ से एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट के आते दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को रूकने का ईशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति बाइक को वापस मोड़कर अंबहेटा की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया, कुछ दुरी पर जाकर बदमाश ग्राम आसराखेड़ी में एक बंद पड़े भट्टे की तरफ मुड़ गया तथा पुलिस टीम द्वारा खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान **अभिषेक पुत्र विनोद निवासी सुआवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर** के रुप मे हुई है। गिरफ्तार बदमाश 15,000/- रुपये का ईनामी व **थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 441/24 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस** का वांछित है घायल बदमाश को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा / 02 जिंदा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस बिना नंबर प्लेट, 1560/- रुपये नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 452/24 धारा 109/317(5) भा0न्या0सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः - गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.12.24 की शाम के समय मैने अपने साथियो के साथ मिलकर कस्बा अम्बेहटापीर स्थित साइबर कैफे की दुकान से करीब सवाँ लाख रूपये व 03 मोबाईल फोन लूटे थे और घटना करने के बाद हम सभी लोग फरार हो गये थे तथा घटना में मिले रूपये हमने आपस मे बाँट लिये थे। मेरे हिस्से के कुछ रूपये मेरे साथी के पास थे, जिन्हे लेने के लिए मैं अपने साथी के पास जा रहा था। तभी मैने पुलिस को रास्ते पर चैकिंग करता हुए देखा तो अपने पकड़े जाने के डर से अपनी मोटर साईकिल लेकर अम्बेहटा की तरफ भाग रहा था, सामने से पुलिस की जिप्सी आता देख मैने अपनी मोटर साईकिल को भट्टे के तरफ मोड़ दिया जिस कारण हड़बड़ाहट में मेरी मोटर साईकिल फिसलकर गिर गयी तथा मैने अपने आप को पकड़े जाने से बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभिषेक पुत्र विनोद निवासी सुआवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

- 01 बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल (सिल्वर कलर)
- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा/02खोखा कारतूस 315 बोर
- 1560/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. हे0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
8. हे0का0 752 राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
9. हे0का0 713 नितिन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
10. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
11. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
12. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30-12-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक 29.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण **1. सचिन पुत्र प्रवेश नि0 मौ0 पीरपुरा ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. नीरज कुमार पुत्र ब्रहम सिंह नि0 ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम बाढी माजरा से ग्राम बुढ्ढाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त सचिन उपरोक्त के कब्जे से 12 ग्राम व अभियुक्त नीरज कुमार उपरोक्त के कब्जे से 14 ग्राम स्मैक नाजायज स्मैक बरामद की हुई । बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 559/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर दोनो ने एक राय होकर बताया कि दोनो पडोसी राज्यो से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर अपने आसपास के क्षेत्रों में राह चलते ट्रक ड्राईवर व अन्य व्यक्तियो को अधिक दामों मे बेचकर अधिक लाभ कमा लेते है आज हम दोनो यह स्मैक ट्रक ड्राईवरों को बेचने जा रहे थे तभी पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सचिन पुत्र प्रवेश नि0 मौ0 पीरपुरा ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. नीरज कुमार पुत्र ब्रहम सिंह नि0 ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 12 ग्राम नाजायज स्मैक (अभियुक्त सचिन से)
- 14 ग्राम नाजायज स्मैक (अभियुक्त नीरज स)

अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 494/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 559/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर

अभियुक्त नीरज का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 216/23 धारा 406/420/506 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 336/20 धारा 279/304ए/338/427 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 559/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 336 आमीन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30-12-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा हत्या के के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 09.11.2024 को वादी श्री गंज फरीद पुत्र फरीद अख्तर उर्फ बाबू निवासी सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.हसीन पुत्र इकबाल 2.अफजाल पुत्र इकबाल 3.सादाब उर्फ सोनू पुत्र इकबाल निवासीगण सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा वादी के भाई हुसनैन व शोएब की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे सूचना पर मु0अ0सं0 345/24 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। विवेचना व व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 61(2)/3(5)बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगणो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नांगल को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नागल के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 30.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रभावी कार्यवाही करते हुए वाँछित हत्यारोपी **अभियुक्त अफजाल अहमद पुत्र इकबाल निवासी सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार** को बड़ूली तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मृतक हुसनैन व शोएब ने मेरे भाई मारूफ की तालाब मे डुबोकर हत्या कर दी थी। जिसका बदला लेने के लिए हमने यह हत्या की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अफजाल अहमद पुत्र इकबाल निवासी सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक(अति0) श्री सतपाल सिंह भाटी थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 चालक कपिल कुमार थाना नांगल सहारनपुर

दिनांक:30.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 10 घंटे में मोटर साइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.12.2024 को वादी नीलम कुमार पुत्र मदनलाल निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार स0पुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर के द्वारा वादी की मोटर साइकिल न. UP14AX8577 को 100 फुटा रोड गलीरा से चोरी हो जाने क सम्बन्ध में थानास सदर बाजार पर मु0अ0सं0- 757/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.12.204 को सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चेंकिंग के दौरान अभियुक्त **1. सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू पुत्र मिठ्ठनलाल निवासी न्यू लक्ष्मीपुरम गलीरा 100 फूटा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को मोल्हूकी कोठी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त 757/24 धारा 303(2)बीएनएस में वृद्धि धारा 317(2) बीएनएस की गयी. गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभि0 सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा मजदूरी का कार्य करता हूँ। तथा कभी-कभी नशा कर लेता हूँ, पैसों के लालच में यह मोटर साइकिल मैंने कल 100 फूटा रोड गलीरा से चोरी की थी चोरी की थी और जिसे आज मैं बेचने के लिये जा रहा था और आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू पुत्र मिठ्ठनलाल निवासी न्यू लक्ष्मीपुरम गलीरा 100 फूटा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 324/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर
मु0अ0सं0 254/24 धारा 380/427/511 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटर साइकिल HONDA SHINE रंग ग्रे रजि न. UP14AX8577, (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 757/24)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 30.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोर व चोरी का सामान खरीदने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 01 सिचाई पंखा व 25 किलो कटीला तार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.12.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री इकराम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम सरगथलवाला थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1.रजनीश पुत्र अनिल मौ0 नाजिर पुरा हिम्मतनगर पेपर मील रोड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर द्वारा वादी के खेत से सिचाई वाली पंखा व 35 किलो कटीले तार चोरी करना व अभियुक्त 2. सुलेमान पुत्र इलियास निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर कबाडी को बेचने के सम्बन्ध मे दाखिल किया जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 391/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे दिनांक 29.12.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त 1.रजनीश पुत्र अनिल निवासी मौ0 नाजिरपुरा हिम्मतनगर पेपर मील रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को मौ0 नाजिरपुरा तथा **2.सलेमान पुत्र इलियास निवासी मानकमाऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को उसकी कबाड़ी की दुकान मानकमऊ थाना कुतुबशेर से गिरफ्तार किया गिया । जिसके निशादेही से चोरी का 01 सिचाई पंखा (लोहे का पुराना) व 25 किलो कटीला तार बरामद हुआ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे अभि0गण के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त रजनीश उपरोक्त ने बताया कि मेरे पास खर्चे के पैसे नही थे मै नशे का आदी हूँ मेरे मन मे लालच आ गया था इसलिये मैने ये सामान चोरी किया था जिससे की मै अपने नशे की जरूरत को पूरा कर सकूँ । चोरी का सामान मैनें सलेमान कबाडी को बेंच दिया जिसके पैसे मुझसे खर्च हो गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रजनीश पुत्र अनिल मौ0 नाजिर पुरा हिम्मतनगर पेपर मील रोड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. सुलेमान पुत्र इलियास निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 सिचाई पंखा लोहे का
- 25 किलो कटीला तार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रजनीश

1. मु0अ0स0 183/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 220/23 धारा 8/22 स्वापक औषधि अधि0 थाना सदर बाजार जनप0 स0पुर
3. मु0अ0स0 349/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 658/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सदर बाजार जनपद स0पुर

आपराधिक इतिहास अभि0 सुलेमान

.मु0अ0स0 391/2024 धारा 303(2),317(2) थाना सरसावा जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिहँ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 361 मनोज थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 136 हरदयाल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 30.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 02 नशा तस्कर गिरफ्तार कब्जें से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार मे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त 1. प्रवेश पुत्र नाथीराम निवासी मौहल्ला पीरपुरा लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर** व **2. दीपक पुत्र पिरथी निवासी मौहल्ला पीरपुरा लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 560/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पताः-

1. प्रवेश पुत्र नाथीराम निवासी मौहल्ला पीरपुरा लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. दीपक पुत्र पिरथी निवासी मौहल्ला पीरपुरा लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 10 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा महिलाओं/युवतियों पर अश्लील फब्तीयां कसने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.12.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा राह चलती महिलाओं/युवतियों पर अश्लील फब्तियाँ कस रहे 01 मनचले **अभियुक्त विशाल पुत्र नरेश निवासी ग्राम गन्देवडा थाना गढी पुख्ता जनपद शामली** को संजय चौक से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 302/24 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल पुत्र नरेश निवासी ग्राम गन्देवडा थाना गढी पुख्ता जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 भावना थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 205 विपिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर